# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
# JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची में वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, शैक्षिक पदाधिकारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सूचना**

**विज्ञप्ति संख्या – ......85...... /2022**

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 21.01.2023 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्र0 | पदनाम | उपलब्ध पद | कोटि | वेतनमान/परिलब्धि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | वित्त पदाधिकारी | 01 | अनारक्षित (एकल पद) | Pay Negotiable |
| 02 | परीक्षा नियंत्रक | 01 | ,, | ,, |
| 03 | शैक्षिक पदाधिकारी | 01 | ,, | ,, |
| 04 | विशेष कार्य पदाधिकारी | 02 | एक अनारक्षित + एक आरक्षित (ST-01) | ,, |

1. आयु सीमा – सेवानिवृत आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी ।
2. विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित शर्त्तें एवं अर्हता निर्धारित है:–

❖ वित्त पदाधिकारी

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वित्तीय, बजट एवं लेखा आदि कार्यों के प्रबंधन एवं निष्पादन हेतु वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- वित्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।

अर्हत्ता

- वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री।
- वित्तीय प्रबंधन में एम0बी0ए0 डिग्री।
- दस वर्षो का वित्तीय प्रशासन का अनुभव।
- लेखा, अंकेक्षण एवं बजट प्रक्रियाओं का विषद ज्ञान।

❖ परीक्षा नियंत्रक

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित की जानेवाली सभी परीक्षाओं (माध्यमिक, इंटरमीडिएट, मदरसा, मध्यमा और अन्य सभी परीक्षाएँ) के संचालन एवं समय पर परीक्षाफल प्रकाशन हेतु परिषद् के सहायतार्थ परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाएगी।
- परीक्षा नियंत्रक का पद एकल पद होगा।
- परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।

अर्हत्ता

- विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री।
- दस वर्षो का विश्वविद्यालय प्रशासन में या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रुप में अनुभव।
- नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान वांछनीय होगा।

❖ शैक्षिक पदाधिकारी

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित होनेवाली परीक्षाओं के निमित्त पाठ्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा या शैक्षिक सुधार के लिए परिषद् की सहायतार्थ कार्यो का निष्पादन या अन्य प्रशासनिक कार्यो के निर्वहन (जो भी परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा) के लिए शैक्षिक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- शैक्षिक पदाधिकारी का पद एकल पद होगा।
- शैक्षिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।

अर्हत्ता

- विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री।
- डिग्री कॉलेज में शिक्षण अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम-से-कम 10 वर्षो का अनुभव।

❖ विशेष कार्य पदाधिकारी

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित होनेवाली परीक्षाओं के आयोजन, सफल संचालन, कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन या अन्य कार्यों के निर्वहन (जो भी परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा) के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- विशेष कार्य पदाधिकारी का दो पद होगा। नियुक्त होनेवाले पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति राँची/पलामू/दुमका कार्यालय में की जा सकती है।
- विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।
- विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति संविदा आधारित होगी।
- विशेष कार्य पदाधिकारी का दो पद होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

अर्हत्ता

- विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातक या समकक्ष डिग्री।
- डिग्री कॉलेज अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम-से-कम 10 वर्षो का अनुभव या राज्य शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

3. रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य निर्देश परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac/ पर उपलब्ध है।
4. विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. चयन/नियुक्ति अनुबन्ध के आधार पर 11 माह के लिए किया जायेगा। संतोषजनक कार्य के आधार पर कार्य अवधि बढ़ाने या घटाने का अधिकार परिषद् को सुरक्षित होगा।
6. आवेदन निबंधित डाक द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, पो0-नामकुम, जिला-राँची पिन कोड-834010 के पते पर कार्यालय अवधि में निर्धारित तिथि तक भेजेंगे । उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करेंगे उस पद का नाम आवेदन एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में अंकित करेंगे ।

नोट :- अन्तर्वीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

अध्यक्ष के आदेश से,

D.O.P. 27/12/2022
JAC/स्था0/6043/12/SECY/964/22
दि. 26/12/2022

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

23.12.22

# आवेदन पत्र का प्रारुप

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

1. आवेदित पद का नाम : ..................................................
2. आवेदक का नाम : ..................................................
3. आवेदक के पिता का नाम : ..................................................
4. पत्राचार का पता : ग्राम/मोहल्ला..............................डाकघर..............................
   थाना..............................जिला ..............................
   पिन कोड..............................
5. स्थायी पता : ग्राम/मोहल्ला..............................डाकघर..............................
   थाना..............................जिला ..............................
   पिन कोड..............................
6. मोबाईल नं०/ई०मेल : ..................................................
7. जन्म तिथि : ..................................................
8. राष्ट्रीयता : ..................................................
9. जाति : ..................................................
10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण : ..................................................
    ..................................................
11. प्रशासनिक अनुभव का विवरण : ..................................................
    ..................................................
12. शोध कार्य : ..................................................
    ..................................................

स्थान :..................................................

दिनांक :.................................................. आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

## घोषण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपर दी गई सभी सूचनाएँ एवं संलग्न पत्र सही है। उसके मिथ्या या जाली पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं नियुक्ति बिना सूचना के रदद् की जा सकती है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध थाने या न्यायालय में कोई फौजदारी मामला लम्बित नहीं है।

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 में दिए गए प्रावधान के आलोक में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में वित्त पदाधिकारी, शैक्षिक पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु नियमन गठित की जाती है।

## वित्त पदाधिकारी

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वित्तीय, बजट एवं लेखा आदि कार्यो के प्रबंधन एवं निष्पादन हेतुवित्त पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।
- वित्त पदाधिकारी का पद एकल पद होगा।
- वित्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।
- वित्त पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होगी या संविदा आधारित, इसका निर्णय परिषद् द्वारा लिया जा सकेगा।

### अर्हत्ता

- वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री।
- वित्तीय प्रबंधन में एम०बी०ए० डिग्री।
- दस वर्षो का वित्तीय प्रशासन का अनुभव।
- लेखा, अंकेक्षण एवं बजट प्रक्रियाओं का विषद ज्ञान।

### नियुक्ति की प्रक्रिया

- परिषद् के निर्णयानुसार वित्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर या नियमित नियुक्ति की जा सकेगी।
- संविदा आधारित नियुक्ति की स्थिति में एकमुश्त राशि, जो परिषद् द्वारा निर्धारित होगा, का भुगतान किया जाएगा।
- नियमित नियुक्ति की स्थिति में वित्त पदाधिकारी का वेतनमान संयुक्त सचिव के वेतनमान के अनुरुप निर्धारित होगा।
- वित्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा साक्षात्कार समिति द्वारा परिषद् के अध्यक्ष को की जायेगी।
- साक्षात्कार 100 अंकों की होगी। अंकों का निर्धारण निम्नवत् रुप से किया जा सकेगा।

| | |
|---|---|
| शैक्षणिक अर्हत्ता के लिए | 50 अंक |
| कार्य अनुभव के लिए | 30 अंक |
| साक्षात्कार के लिए | 20 अंक |

- शैक्षणिक अर्हता में माध्यमिक, इंटरमीडिएट तथा स्नातक में प्राप्त अंक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर के लिए 20 प्रतिशत अंक जोड़े जायेंगे, जिसका स्वरुप निम्नवत् होगा :-

| क्र0 सं0 | परीक्षा | अंकों का निर्धारण |
|---|---|---|
| 01. | माध्यमिक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 02. | इंटरमीडिएट परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 03. | स्नातक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 04. | स्नातकोत्तर परीक्षा | 20 अंक (अधिकतम) |
| | कुल | 50 अंक (अधिकतम) |

- कार्य अनुभव के लिए 30 अंक अधिकतम निर्धारित है। अंकों का निर्धारण साक्षात्कार समिति द्वारा किया जाएगा। परीक्षा आयोजन करनेवाली संस्था/लोकउपक्रम/निगम या स्वपोषी संस्था में कार्य करनेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

## परीक्षा नियंत्रक

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित की जानेवाली सभी परीक्षाओं (माध्यमिक, इंटरमीडिएट, मदरसा, मध्यमा और अन्य सभी परीक्षाएँ) के संचालन एवं समय पर परीक्षाफल प्रकाशन हेतु परिषद् के सहायतार्थ परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जा सकेगी।
- परीक्षा नियंत्रक का पद एकल पद होगा।
- परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।
- परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियमित नियुक्ति होगी या संविदा आधारित, इसका निर्णय परिषद् द्वारा लिया जा सकेगा।

अर्हत्ता

- विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री।
- दस वर्षो का विश्वविद्यालय प्रशासन में या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रुप में अनुभव।
- नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान वांछनीय होगा।

नियुक्ति की प्रक्रिया

- परिषद् के निर्णयानुसार परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर या नियमित नियुक्ति की जा सकेगी।
- संविदा आधारित नियुक्ति की स्थिति में एकमुश्त राशि, जो परिषद् द्वारा निर्धारित होगा, का भुगतान किया जाएगा।
- नियमित नियुक्ति की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक का वेतनमान संयुक्त सचिव के वेतनमान के अनुरुप निर्धारित होगा।
- परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा साक्षात्कार समिति द्वारा परिषद् के अध्यक्ष को की जायेगी।
- साक्षात्कार 100 अंकों की होगी। अंकों का निर्धारण निम्नवत् रुप से किया जा सकेगा।

| | |
|---|---|
| शैक्षणिक अर्हत्ता के लिए | 50 अंक |
| कार्य अनुभव के लिए | 30 अंक |
| साक्षात्कार के लिए | 20 अंक |

- शैक्षणिक अर्हता में माध्यमिक, इंटरमीडिएट तथा स्नातक में प्राप्त अंक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर के लिए 20 प्रतिशत अंक जोड़े जायेंगे, जिसका स्वरुप निम्नवत् होगा :-

| क्र0 सं0 | परीक्षा | अंकों का निर्धारण |
|---|---|---|
| 01. | माध्यमिक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 02. | इंटरमीडिएट परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 03. | स्नातक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 04. | स्नातकोत्तर परीक्षा | 20 अंक (अधिकतम) |
| | कुल | 50 अंक (अधिकतम) |

- कार्य अनुभव के लिए 30 अंक अधिकतम निर्धारित है। अंकों का निर्धारण साक्षात्कार समिति द्वारा किया जाएगा। परीक्षा आयोजन करनेवाली संस्था/लोकउपक्रम/निगम या स्वपोषी संस्था में कार्य करनेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

## शैक्षिक पदाधिकारी

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित होनेवाली परीक्षाओं के निमित्त पाठ्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा या शैक्षिक सुधार के लिए परिषद् की सहायतार्थ कार्यो का निष्पादन या अन्य प्रशासनिक कार्यो के निर्वहन (जो भी परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा) के लिए शैक्षिक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- शैक्षिक पदाधिकारी का पद एकल पद होगा।

- शैक्षिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।
- शैक्षिक पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होगी या संविदा आधारित, इसका निर्णय परिषद् द्वारा लिया जा सकेगा।

<u>अर्हत्ता</u>

- विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री।
- डिग्री कॉलेज में शिक्षण अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम-से-कम 10 वर्षो का अनुभव।

<u>नियुक्ति की प्रक्रिया</u>

- परिषद् के निर्णयानुसार शैक्षणिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर या नियमित नियुक्ति की जा सकेगी।
- संविदा आधारित नियुक्ति की स्थिति में एकमुश्त राशि, जो परिषद् द्वारा निर्धारित होगा, का भुगतान किया जाएगा।
- नियमित नियुक्ति की स्थिति में शैक्षिक पदाधिकारी का वेतनमान संयुक्त सचिव के वेतनमान के अनुरुप निर्धारित होगा।
- शैक्षिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा साक्षात्कार समिति द्वारा परिषद् के अध्यक्ष को की जायेगी।
- साक्षात्कार 100 अंकों की होगी। अंकों का निर्धारण निम्नवत् रुप से किया जा सकेगा।

| | |
|---|---|
| शैक्षणिक अर्हत्ता के लिए | 50 अंक |
| कार्य अनुभव के लिए | 30 अंक |
| साक्षात्कार के लिए | 20 अंक |

- शैक्षणिक अर्हता में माध्यमिक, इंटरमीडिएट तथा स्नातक में प्राप्त अंक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर के लिए 20 प्रतिशत अंक जोड़े जायेंगे, जिसका स्वरुप निम्नवत् होगा :-

| क्र0 सं0 | परीक्षा | अंकों का निर्धारण |
|---|---|---|
| 01. | माध्यमिक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 02. | इंटरमीडिएट परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 03. | स्नातक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 04. | स्नातकोत्तर परीक्षा | 20 अंक (अधिकतम) |
| | कुल | 50 अंक (अधिकतम) |

- कार्य अनुभव के लिए 30 अंक अधिकतम निर्धारित है। अंकों का निर्धारण साक्षात्कार समिति द्वारा किया जाएगा। परीक्षा आयोजन करनेवाली संस्था/लोकउपक्रम/निगम या स्वपोषी संस्था में कार्य करनेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

## विशेष कार्य पदाधिकारी

- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित होनेवाली परीक्षाओं के आयोजन, सफल संचालन, कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन या अन्य कार्यों के निर्वहन (जो भी परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा) के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- विशेष कार्य पदाधिकारी का दो पद होगा। इनकी प्रतिनियुक्ति राँची/पलामू/दुमका कार्यालय में कहीं भी की जा सकती है।
- विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगे। अर्थात् परिषद् में सेवा देने के दौरान वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य का निर्वहन् नहीं कर सकेंगे।
- विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति संविदा आधारित होगी।
- विशेष कार्य पदाधिकारी का दो पद होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

अर्हत्ता

- विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातक या समकक्ष डिग्री।
- डिग्री कॉलेज अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम-से-कम 10 वर्षो का अनुभव या राज्य शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

नियुक्ति की प्रक्रिया

- परिषद् के निर्णयानुसार विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा सकेगी।
- विशेष कार्य पदाधिकारी पर नियुक्त पदाधिकारी को देय वेतनादि एक मुश्तराशि के रुप में परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा साक्षात्कार समिति द्वारा परिषद् के अध्यक्ष को की जायेगी।
- साक्षात्कार 100 अंकों की होगी। अंकों का निर्धारण निम्नवत् रुप से किया जा सकेगा।

| | |
|---|---|
| शैक्षणिक अर्हत्ता के लिए | 50 अंक |
| कार्य अनुभव के लिए | 30 अंक |
| साक्षात्कार के लिए | 20 अंक |

- शैक्षणिक अर्हता में माध्यमिक, इंटरमीडिएट तथा स्नातक में प्राप्त अंक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर के लिए 20 प्रतिशत अंक जोड़े जायेंगे, जिसका स्वरुप निम्नवत् होगा :-

| क्र0 सं0 | परीक्षा | अंकों का निर्धारण |
|---|---|---|
| 01. | माध्यमिक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 02. | इंटरमीडिएट परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 03. | स्नातक परीक्षा | 10 अंक (अधिकतम) |
| 04. | स्नात्कोत्तर परीक्षा | 20 अंक (अधिकतम) |
| | कुल | 50 अंक (अधिकतम) |

- कार्य अनुभव के लिए 30 अंक अधिकतम निर्धारित है। अंकों का निर्धारण साक्षात्कार समिति द्वारा किया जाएगा। परीक्षा आयोजन करनेवाली संस्था/लोकउपक्रम/निगम या स्वपोषी संस्था में कार्य करनेवाले अभ्यर्थी या राज्य शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।